स्कूल/अस्पताल स्थापित करना आदि शामिल करने का प्रस्ताव भी किया है। खान मंत्रालय ने एम.एम.आर.डी. अधिनियम, 1957 और खनिज रियायत नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुपालन की शर्त पर और इस शर्त पर कि राज्य सरकार प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कम्पनी अर्थात बैलाडिला मिनरल डेवलपमेंट कापोरेशन लिमिटेड और एन.एम.डी.सी. इन शर्तों पर एकमत हों हस्तान्तरण के लिए शर्तों पर सहमत हों और एक अनुबंध करें या अन्य कोई उचित वैधानिक कार्रवाई में उन्हें शामिल करें, के अनुपालन की शर्त पर उस प्रस्ताव को 21 मार्च, 96 को मंजूरी दे दी थी।

खान मंत्रालय ने अपने दिनांक 13.6.1996 के पत्र के तहत मध्य प्रदेश सरकार से यह सूचित करने का अनुरोध किया था कि क्या एन.एम.डी.सी. ने खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 27(3) के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तों के संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 19.6.96 और 3.8.96 के पत्रों के तहत इस्पात मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि वह राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर अपनी स्वीकृति देने के संबंध में एन.एम.डी.सी. को सलाह दे।

संसद सदस्य श्री गुरुदास दास गुप्ता और श्री जीवन राय ने लौह अयस्क खान II-बी के खनन पट्टे का हस्तान्तरण संयुक्त उद्यम कम्पनी के पक्ष में करने के बारे में स्थगन आदेश देने के लिए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारिता के आधार पर रिट याचिका 10.5.1996 को खारिज कर दी गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा 3 सप्ताह का अन्तरिम स्थगन दिया गया था जिसके लिए बाद में उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अन्तरिम स्थगन तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि अन्तरिम स्थगन के विरुद्ध संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा की गई अपील और मूल रिट याचिका खारिज करने के आदेश के विरुद्ध श्री गुरुदास दास गुप्ता और श्री जीवन राय द्वारा की गई अपील का निपटान नहीं हो जाता। ये अपीलें नियमित बेंच के समक्ष प्रस्तुत की जानी हैं।

बैलाडिला निक्षेप-II बी के हस्तान्तरण के विरुद्ध जुलाई, 1996 में दिल्ली उच्च न्यायालय में भी एक जनहित मुकदमा दायर किया गया है। मामले को अंतिम बहस के लिए दिनांक 13.1.1997 तक स्थगित कर दिया गया है।

सरकार का ये मानना है कि यह महत्वपूर्ण विषय है और इसकी विभिन्न पहलुओं से विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है। तथापि, चूंकि यह मामला न्यायालयों में लंबित है, अत: सरकार न्यायिक अधिमत की प्रतीक्षा करेगी।

गेहूँ और चावल के निर्यात हेतु किए गये समझौते

1003. **श्री अजीत जोगी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विभिन्न देशों को गेहूँ और चावल के निर्यात हेतु कितने समझौते किये गये हैं;

(ख) उक्त दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक देश को कुल कितनी मात्रा में गेहूँ और चावल का निर्यात किया गया; और

(ग) आगामी वर्षों के दौरान चावल और गेहूँ का निर्यात बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) तथा (ख) गत दो वर्षों के दौरान निर्यातित गेहूँ और चावल की मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार हैं:-

मात्रा : मी॰ टन में

(मूल्य :.करोड. रू॰ में)

वस्तु	1994-95		1995-96		1996-97 (अप्रैल-सितम्बर, 96)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चावल (बासमती)	468696	857.76	392258	851.16	249043	554.16
चावल (गैर-बासमती)	422727	323.45	5120343	3701.85	1108766	1051.67
गेहूँ	58206	30.85	617211	360.90	1078653	668.99

(स्रोत: डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता)

भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) ने दिनांक 23.2.95 को नेपाल खाद्य निगम के साथ 30,000 मी. टन चावल की आपूर्ति करने का एक करार किया जिसमें से 2,000 मी. टन चावल मार्च, 1995 में जहाज द्वारा भेजा गया। भारत सरकार अप्रैल, 1996 में कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य को मदद करने के लिए 1000 मी. टन का दान करने के लिए सहमत हुई। वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान निर्यात किए गए चावल और गेहूँ की मात्रा और कीमत के देशवार आंकड़े भारतीय विदेश व्यापार की मंथली स्टेटिसटिक्स (वर्ष 1994-95 और 1995-96 के वार्षिक अंक) में उपलब्ध हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) गेहूं और चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिए जो कुछ कदम उठाए गए हैं उनमें शामिल हैं--न्यूनतम निर्यात मूल्य एवं मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त करना, वर्ष 1996-97 के दौरान एफ सी आई को सरकारी स्टॉक से 5 लाख मी. टन उत्तम और सर्वोत्तम किस्म के चावल का तथा 5 लाख मी. टन गैर-टुड्म गेहूं का निर्यात/बिक्री करने की अनुमति देना, रियायती दर पर ऋण का प्रबंध, उन्नत पैकेजिंग के लिए निर्यातकों को सहायता प्रदान करना, गुणवत्ता नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी।

Hike in coal royalty

1004. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration for hike in coal royalty as demanded by the State-Governments;

(b) if so, the present royalty rates and number of times these have been revised during the past three years and percentage of increase each time and financial implications thereof, State-wise;

(c) the present demand of the State Governments for hike in coal royalty; and

(d) details of action taken/proposed to be taken thereon alongwith present status of the proposal?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) to (d) The rate of royalty on coal was last revised with effect from 11.10.1994 except for the State of Meghalaya, Revision in respect of State of Meghalaya was notified on 13.1.95. The existing rates of royalty for various grades of coal are given in the enclosed statement. (*See* below)

In terms of the proviso to Section 9(3) of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, the Central Government is empowered to enhance royalty rates on coal not more than once during any period of three years. The next revision, therefore falls due after 10.10.97. Action has been initiated to set up a Study Group to review the Royalty rates on coal and to make recommendations on the matter for the consideration of Government.

Statement

The existing rates of royalty for various grades of coal in all states and UTs except in West Bengal and Tripura

(A) *Rates of Royalty on coal produced in all States and Union Territories except the States of West Bengal and Meghalya*

(i) Group I Coals:	
(a) Coking Coal Steel Grade-I Steel Grade-II Washery Grade-I	One hundred and ninety five rupees only per tonne.
(b) Hand picked coal produced in the State of Arunachal Pradesh, Assam and Nagaland.	One hundred and fifty rupees only per tonne.